दिनांक 14.09.2023
प्रेस विज्ञप्ति 16/2023

मुख्यालय पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश।

आपरेशन कन्विक्शन के तहत प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप जघन्य अपराधों में अभियुक्तों को आजीवन कारावास आदि की सजा

पुलिस महानिदेशक उ0प्र0 द्वारा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग व समय–समय पर दिए गए निर्देशों के क्रम में जघन्य अपराधों में लिप्त अपराधियों को तत्काल गिरफ्तार कर उनके विरूद्ध वैज्ञानिक विधि से साक्ष्य संकलन एवं गुणवत्तापूर्ण विवेचनात्मक कार्यवाही करते हुए आपरेशन कन्विक्शन कार्य योजना के तहत उ0प्र0 पुलिस एवं अभियोजन विभाग द्वारा मा0 न्यायालय में संयुक्त रूप से प्रभावी पैरवी कराकर न्यूनतम समय में अधिक से अधिक सजा दिलाये जाने की कार्यवाही की जा रही है।

उक्त के क्रम में प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप माननीय न्यायालय द्वारा हत्या, दुष्कर्म व पॉक्सो एक्ट आदि जघन्य अपराधों में मुख्यतः निम्न जनपदों में अभियुक्तों को आजीवन कारावास आदि की सजा सुनाई गई है।

- **कमिश्नरेट वाराणसी/थाना कैण्ट (प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय द्वारा 03 अभियुक्तों को आजीवन कारावास की सजा व 25–25 हजार रूपये अर्थदण्ड)**

कमिश्नरेट वाराणसी पुलिस द्वारा प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय कमिश्नरेट वाराणसी द्वारा थाना कैण्ट पर पंजीकृत अभियोग में धारा 302/201 भादवि के अन्तर्गत अभियुक्त 1–रामबाबू 2–सन्तोष सोनकर 3–सन्तोष पासवान को आजीवन कारावास व 25–25 हजार रूपये के अर्थदण्ड की सजा सुनाई गयी।

- **जनपद फतेहपुर/थाना जहानाबाद (प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय द्वारा 02 अभियुक्तों को आजीवन कठोर कारावास की सजा व 12–12 हजार रूपये अर्थदण्ड)**

जनपद फतेहपुर पुलिस द्वारा प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय जनपद फतेहपुर द्वारा थाना जहानाबाद पर पंजीकृत अभियोग में धारा 302/201 भादवि के अन्तर्गत अभियुक्त 1–राकेश 2–राजू को आजीवन कठोर कारावास व 12–12 हजार रूपये के अर्थदण्ड की सजा सुनाई गयी।

- **जनपद अमेठी/थाना मुंशीगंज (प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय द्वारा 02 अभियुक्तो को 20/10 वर्ष के कठोर कारावास की सजा व 56/51 हजार रूपये अर्थदण्ड)**

जनपद अमेठी पुलिस द्वारा प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय जनपद सुलतानपुर द्वारा थाना मुंशीगंज पर पंजीकृत अभियोग में अभियुक्त दिलीप को धारा 376/452/506 भादवि व 4 पॉक्सो एक्ट के अन्तर्गत 20 वर्ष के कठोर कारावास व 56 हजार रूपये अर्थदण्ड एवं अभियुक्त नन्दलाल को धारा 376/201 भादवि व 17 पॉक्सो एक्ट के अन्तर्गत 10 वर्ष के कठोर कारावास व 51 हजार रूपये के अर्थदण्ड की सजा सुनाई गयी।

- **जनपद कौशाम्बी/थाना करारी (प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय द्वारा अभियुक्त को 20 वर्ष के कठोर कारावास की सजा व 55 हजार रूपये अर्थदण्ड)**

जनपद कौशाम्बी पुलिस द्वारा प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय जनपद कौशाम्बी द्वारा थाना करारी पर पंजीकृत अभियोग में धारा 506 भादवि व 3/4 पॉक्सो एक्ट के अन्तर्गत अभियुक्त शैलेन्द्र कुमार को 20 वर्ष के कठोर कारावास व 55 हजार रूपये के अर्थदण्ड की सजा सुनाई गयी।

- **<u>जनपद अम्बेडकरनगर/थाना जलालपुर (प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय द्वारा अभियुक्त को 20 वर्ष के सश्रम कारावास की सजा व 30 हजार रूपये अर्थदण्ड)</u>**

जनपद अम्बेडकरनगर पुलिस द्वारा प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय जनपद अम्बेडकरनगर द्वारा थाना जलालपुर पर पंजीकृत अभियोग में धारा 376क, ख भादवि सपठित धारा 4(2) पॉक्सो एक्ट के अन्तर्गत अभियुक्त फूलचन्द्र को 20 वर्ष के सश्रम कारावास व 30 हजार रूपये के अर्थदण्ड की सजा सुनाई गयी।

<u>जनपद एटा/थाना कोतवाली देहात</u>

- **50 हजार रूपये का पुरस्कार घोषित अभियुक्त गिरफ्तार**
- **01 अवैध तमंचा 315 बोर मय जीवित कारतूस बरामद**

दिनांक 13.09.2023 की रात्रि थाना कोतवाली देहात पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर मेडिकल कॉलेज के पास से पुरस्कार घोषित अभियुक्त राजेश को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त के कब्जे से 01 अवैध तमंचा 315 बोर मय जीवित कारतूस बरामद हुए।

उल्लेखनीय है कि गिरफ्तार अभियुक्त थाना कोतवाली देहात पर पंजीकृत अभियोग में वांछित चल रहा था, जिसकी गिरफ्तारी हेतु परिक्षेत्र स्तर से 50 हजार रूपये का पुरस्कार घोषित था।

इस सम्बन्ध में थाना कोतवाली देहात पर अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

<u>गिरफ्तार अभियुक्त</u>

1–राजेश निवासी भुरगवां थाना मारहरा जनपद एटा।

<u>बरामदगी</u>

1–01 अवैध तमंचा 315 बोर मय जीवित कारतूस।

जनपद आजमगढ़/थाना देवगॉव

- **पुलिस कार्यवाही में 25 हजार रूपये का पुरस्कार घोषित अभियुक्त गिरफ्तार**
- **लगभग 01 लाख 50 हजार रूपये कीमत की चोरी के बायोकेमिकल मशीन**
- **चोरी की 01 मोटर साइकिल**
- **01 मोबाइल फोन**
- **01 अवैध तमंचा 315 बोर मय जीवित/खोखा कारतूस बरामद**

दिनॉकः 14.09.2023 को थाना देवगॉव पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर चेवार चड़िया पुलिया के पास मोटर साइकिल सवार बदमाश की घेराबन्दी की गयी तो बदमाश ने पुलिस टीम पर जान से मारने की नियत से फायरिंग कर दी। पुलिस टीम द्वारा की गयी आत्मरक्षार्थ कार्यवाही में अभियुक्त सुनील घायल हो गया, जिसे गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त के कब्जे/निशादेही से लगभग 01 लाख 50 हजार रूपये कीमत की चोरी के बायोकेमिकल मशीन, चोरी की 01 मोटर साइकिल, 01 मोबाइल फोन, 01 अवैध तमंचा 315 बोर मय जीवित/खोखा कारतूस बरामद हुये। घायल को उपचार हेतु अस्पताल भेजा गया।

उल्लेखनीय है कि गिरफ्तार अभियुक्त थाना बरदह जनपद आजमगढ़ पर पंजीकृत गैंगेस्टर के अभियोग में वॉछित चल रहा था, जिसकी गिरफ्तारी हेतु जनपद स्तर से 25 हजार रूपये का पुरस्कार घोषित था। गिरफ्तार अभियुक्त के विरूद्ध जनपद जौनपुर, आजमगढ़ के विभिन्न थानों पर लूट, डकैती, चोरी, एनडीपीएस एक्ट, आर्म्स एक्ट, गैंगेस्टर एक्ट आदि के 27 अभियोग पंजीकृत हैं।

इस सम्बन्ध में थाना देवगॉव पुलिस द्वारा अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

1–सुनील निवासी लेबरूआ थाना चन्दवक जनपद जौनपुर।

बरामदगी

1—लगभग 01 लाख 50 हजार रूपये कीमत की चोरी के बायोकेमिकल मशीन।

2—चोरी की 01 मोटर साइकिल।

3—01 मोबाइल फोन।

4—01 अवैध तमंचा 315 बोर मय जीवित/खोखा कारतूस।

जनपद जौनपुर/थाना शाहगंज

- **25 हजार रूपये का पुरस्कार घोषित अभियुक्त गिरफ्तार**

दिनॉकः 14.09.2023 को थाना शाहगंज पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर पुरस्कार घोषित अभियुक्त प्रिंस को गिरफ्तार किया गया।

उल्लेखनीय है कि गिरफ्तार अभियुक्त थाना शाहगंज पर पंजीकृत अभियोग में वॉछित चल रहा था, जिसकी गिरफ्तारी हेतु जनपद स्तर से 25 हजार रूपये का पुरस्कार घोषित था।

इस सम्बन्ध में थाना शाहगंज पुलिस द्वारा विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

1—प्रिंस निवासी इ.टौरी थाना सरायख्वाजा जनपद जौनपुर।

जनपद चन्दौली/थाना अलीनगर

- **25 हजार रूपये का पुरस्कार घोषित अभियुक्त गिरफ्तार**

दिनांक 14.09.2023 को थाना अलीनगर पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर मेटिस हास्पिटल के पास से पुरस्कार घोषित अभियुक्त पवन को गिरफ्तार किया गया।

उल्लेखनीय है कि गिरफ्तार अभियुक्त थाना अलीनगर पर पंजीकृत अभियोग में वांछित चल रहा था, जिसकी गिरफ्तारी हेतु जनपद स्तर से 25 हजार रूपये का पुरस्कार घोषित था।

इस सम्बन्ध में थाना अलीनगर पुलिस द्वारा विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

1—पवन निवासी सिंधीताली थाना अलीनगर जनपद चन्दौली।

जनपद इटावा/थाना फ्रेण्ड्स कॉलोनी

- **10 हजार रूपये का पुरस्कार घोषित अभियुक्त गिरफ्तार**
- **01 अवैध तमंचा 315 बोर मय जीवित कारतूस बरामद**

दिनांक 14.09.2023 को थाना फ्रेण्ड्स कॉलोनी पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर थाना फ्रेण्ड्स कॉलोनी क्षेत्रान्तर्गत सर्विस रोड से पुरस्कार घोषित अभियुक्त सिकन्दर उर्फ आमिर को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त के कब्जे से 01 अवैध तमंचा 315 बोर मय जीवित कारतूस बरामद हुए।

उल्लेखनीय है कि गिरफ्तार अभियुक्त थाना फ्रेण्ड्स कॉलोनी पर पंजीकृत अभियोग में वांछित चल रहा था, जिसकी गिरफ्तारी हेतु जनपद स्तर से 10 हजार रूपये का पुरस्कार घोषित था।

इस सम्बन्ध में थाना फ्रेण्ड्स कॉलोनी पर अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

1–सिकन्दर उर्फ आमिर निवासी आजाद नगर टीला थाना फ्रेण्ड्स कॉलोनी जनपद इटावा।

बरामदगी

1–01 अवैध तमंचा 315 बोर मय जीवित कारतूस।

जनपद मुजफ्फरनगर/थाना जानसठ

- **चोरी की घटना का अनावरण**
- **04 अभियुक्त गिरफ्तार**
- **चोरी के माल बिक्री के 02 लाख 60 हजार रूपये नगद**
- **चोरी की विभिन्न मशीने/उपकरण**
- **01 अवैध तमंचा 315 बोर मय जीवित कारतूस**
- **01 बोलेरो पिकअप वाहन आदि बरामद**

दिनांक 14.09.2023 को थाना जानसठ पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर कवाल ईंट भट्टा पानीपत खटीमा मार्ग के पास से 04 अभियुक्तों 1– रविन्द्र 2– टीना उर्फ

जोगेन्द्र 3—राजू 4—जसमेर को गिरफ्तार कर चोरी की घटना का अनावरण किया गया। गिरफ्तार अभियुक्तों के कब्जे/निशादेही से चोरी के माल बिक्री के 02 लाख 60 हजार रूपये नगद, चोरी की विभिन्न मशीने/उपकरण, 01 अवैध तमंचा 315 बोर मय जीवित कारतूस, 01 बोलेरो पिकअप वाहन आदि बरामद हुए।

उल्लेखनीय है कि थाना जानसठ क्षेत्रान्तर्गत अज्ञात चोरो द्वारा डरेली इस्पात फैक्ट्री से लोहे/ताम्बे का सामान व मशीन चोरी की घटना कारित की गई थी, जिसके सम्बन्ध में थाना जानसठ पर अभियोग पंजीकृत कर घटना के अनावरण के प्रयास किये जा रहे थे। गिरफ्तार अभियुक्तों से बरामद रूपया, उपकरण आदि चोरी की घटना से सम्बन्धित है।

इस सम्बन्ध में थाना जानसठ पर अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

1—रविन्द्र निवासी मदारपुरा थाना सरधना जनपद मेरठ।

2—टीना उर्फ जोगेन्द्र निवासी वहलना थाना कोतवाली नगर जनपद मुजफ्फरनगर, हालपता दौराला जनपद मेरठ।

3—राजू निवासी मोरना थाना भोपा जनपद मुजफ्फरनगर, हालपता भूड खतौली थाना खतौली जनपद मुजफ्फरनगर।

4—जसमेर निवासी चोकड़ा थाना चरथावल जनपद मुजफ्फरनगर।

बरामदगी

1—चोरी के माल बिक्री के 02 लाख 60 हजार रूपये नगद।

2—चोरी की विभिन्न मशीने/उपकरण।

3—01 अवैध तमंचा 315 बोर मय जीवित कारतूस।

4—01 बोलेरो पिकअप वाहन आदि।

जनपद शाहजहाँपुर/थाना कांट

- **अवैध शस्त्र फैक्ट्री संचालित कर रहे 02 अभियुक्त गिरफ्तार**
- **05 निर्मित/अद्धनिर्मित अवैध शस्त्र विभिन्न बोर**
- **02 कारतूस**
- **अवैध शस्त्र बनाने के उपकरण व पुर्जे बरामद**

दिनॉकः 13.09.2023 की रात्रि थाना कांट पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर थाना क्षेत्र में अवैध शस्त्र फैक्ट्री संचालित कर रहे 02 अभियुक्तों 1–राधे उर्फ राधेश्याम 2–रामकिशोर को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्तों के कब्जे/निशादेही से 05 निर्मित/अद्धनिर्मित अवैध शस्त्र विभिन्न बोर, 02 कारतूस, अवैध शस्त्र बनाने के उपकरण व पुर्जे बरामद हुये।

इस सम्बन्ध में थाना कांट पुलिस द्वारा अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

1–राधे उर्फ राधेश्याम निवासी ग्राम जशनपुर थाना कांट जनपद शाहजहाँपुर हालपता–ग्राम सुल्तानपुर थाना पचदेवरा जनपद हरदोई।

2–रामकिशोर निवासी ग्राम भण्डेरी थाना कांट जनपद शाहजहाँपुर।

बरामदगी

1–05 निर्मित/अद्धनिर्मित अवैध शस्त्र विभिन्न बोर।

2–02 कारतूस।

3–अवैध शस्त्र बनाने के उपकरण व पुर्जे।

कमिश्नरेट गाजियाबाद/क्राइम ब्रान्च

- **02 अभियुक्त गिरफ्तार**
- **चोरी की 08 चार पहिया वाहन**
- **14 फर्जी नम्बर प्लेट, 02 एल0एन0टी0, 06 चाभी (रिमोट/बिना रिमोट की) बरामद**

दिनांक 13.09.2023 को क्राइम ब्रान्च गाजियाबाद पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर थाना इन्दिरापुरम क्षेत्रान्तर्गत 02 अभियुक्तों 1–सुनील उर्फ काला 2– आस

मोहम्मद उर्फ आशु को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्तों के कब्जे/निशादेही से चोरी की 08 चार पहिया वाहन, 14 फर्जी नम्बर प्लेट, 02 एल0एन0टी0, 06 चाभी (रिमोट/बिना रिमोट की) बरामद हुए।

उल्लेखनीय है कि गिरफ्तार अभियुक्त शातिर किस्म के अपराधी हैं, जिसमें अभियुक्त सुनील उर्फ काला के विरूद्ध कमिश्नरेट गाजियाबाद व दिल्ली के विभिन्न थानो में चोरी आदि के 09 अभियोग एवं अभियुक्त आस मोहम्मद उर्फ आशु के विरूद्ध कमिश्नरेट गाजियाबाद व दिल्ली के विभिन्न थानो में चोरी आदि के 05 अभियोग पंजीकृ त है।

इस सम्बन्ध में कमिश्नरेट गाजियाबाद द्वारा विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

1–सुनील उर्फ काला निवासी तिगरी खुर्द थाना भौरगढ दिल्ली।

2–आस मोहम्मद उर्फ आशु निवासी पिलाना थाना सिंघावली अहीर जनपद बागपत।

बरामदगी

1–चोरी की 08 चार पहिया वाहन।

2–14 फर्जी नम्बर प्लेट, 02 एल0एन0टी0, 06 चाभी (रिमोट/बिना रिमोट की)।

जनपद जालौन/थाना कदौरा

- **पुलिस कार्यवाही में 02 अभियुक्त गिरफ्तार**
- **4700/–रूपये नगद**
- **01 मोटर साइकिल**
- **02 अवैध तमंचा विभिन्न बोर मय जीवित/खोखा कारतूस बरामद**

दिनॉकः 14.09.2023 को थाना कदौरा व क्राइम ब्रान्च की संयुक्त पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर बेरी रोड पर चेकिंग के दौरान मोटर साइकिल सवार बदमाशों की घेराबन्दी की गयी तो बदमाशों ने पुलिस टीम पर जान से मारने की नियत से फायरिंग कर दी। पुलिस टीम द्वारा की गयी आत्मरक्षार्थ कार्यवाही में 02 अभियुक्त 1– राजू

2–रमेंद्र उर्फ रवीन्द्र घायल हो गये, जिन्हें गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्तों के कब्जे/निशादेही से 4700/–रूपये नगद, 01 मोटर साइकिल, 02 अवैध तमंचा विभिन्न बोर मय जीवित/खोखा कारतूस बरामद हुये। घायलों को उपचार हेतु अस्पताल भेजा गया।

उल्लेखनीय है कि गिरफ्तार अभियुक्त राजू के विरूद्ध कमिश्नरेट कानपुर नगर, जनपद कानपुर देहात, इटावा के विभिन्न थानों पर चोरी, धोखाधड़ी, आर्म्स एक्ट आदि के 07 अभियोग पंजीकृत हैं।

इस सम्बन्ध में थाना कदौरा पुलिस द्वारा अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

<u>गिरफ्तार अभियुक्त</u>

1–राजू निवासी मोहल्ला बदनपुर नारायणपुर थाना कोतवाली औरैया, जनपद औरैया।

2–रमेंद्र उर्फ रवीन्द्र निवासी पांडेताला सुजानपुर थाना ललौली जनपद फतेहपुर।

<u>बरामदगी</u>

1–4700/–रूपये नगद।

2–01 मोटर साइकिल।

3–02 अवैध तमंचा विभिन्न बोर मय जीवित/खोखा कारतूस।

<u>जनपद मथुरा/थाना मांट</u>

- **04 अभियुक्त गिरफ्तार**
- **लगभग 03 करोड़ रूपये (अन्तर्राष्ट्रीय कीमत) के 50 किलो 496 ग्राम अवैध चरस**
- **04 मोबाइल फोन**
- **01 सफारी कार बरामद**

दिनांक 13.09.2023 को थाना मांट व ए0एन0टी0एफ0 आपरेशनल यूनिट आगरा जोन की संयुक्त पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर यमुना एक्सप्रेस–वे मांट टोल

प्लाजा के पास से 04 अभियुक्तों 1—नूर अहमद 2—आबिद 3—नूर आलम 4—मो0शाहिद को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्तों के कब्जे/निशादेही से लगभग 03 करोड़ रूपये (अन्तर्राष्ट्रीय कीमत) के 50 किलो 496 ग्राम अवैध चरस, 04 मोबाइल फोन, 01 सफारी कार बरामद हुए।

इस सम्बन्ध में थाना मांट पर अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

1—नूर अहमद निवासी चमरौली थाना दरियाबाद जनपद बाराबंकी।

2—आबिद निवासी खेता सराय थाना टिकैतनगर जनपद बाराबंकी।

3—नूर आलम निवासी चमरौली थाना दरियाबाद जनपद बाराबंकी।

4—मो0शाहिद निवासी चमरौली थाना दरियाबाद जनपद बाराबंकी।

बरामदगी

1—लगभग 03 करोड़ रूपये (अन्तर्राष्ट्रीय कीमत) के 50 किलो 496 ग्राम अवैध चरस।

2—04 मोबाइल फोन।

3—01 सफारी कार।

जनपद सोनभद्र/थाना रॉबर्टसगंज

- **02 अभियुक्त गिरफ्तार**
- **लगभग 90 लाख रूपये कीमत के 994 पेटी अवैध अंग्रेजी शराब**
- **01 ट्रक बरामद**

दिनांक 13.09.2023 को थाना रॉबर्टसगंज व क्राइम ब्रान्च की संयुक्त पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर पीडब्लूडी गेस्ट हाउस के पास से 02 अभियुक्तों 1—राजेश 2—राजाराम को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्तों के कब्जे/निशादेही से लगभग 90 लाख रूपये कीमत के 994 पेटी अवैध अंग्रेजी शराब, 01 ट्रक बरामद हुए।

इस सम्बन्ध में थाना रॉबर्टसगंज पर अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

1–राजेश निवासी धीर थाना कुंजपुरा जनपद करनाल हरियाणा।

2–राजाराम निवासी खेड़ी जटान थाना इन्दरी जनपद करनाल हरियाणा।

बरामदगी

1–लगभग 90 लाख रूपये कीमत के 994 पेटी अवैध अंग्रेजी शराब।

2–01 ट्रक।

- **जनपद बाराबंकी (गैंगेस्टर एक्ट में लगभग 66 लाख रूपये कीमत की सम्पत्ति कुर्क/जब्तीकरण की कार्यवाही)**

जनपद बाराबंकी पुलिस ने अभियुक्त संतोष कुमार यादव पुत्र जगजीवन यादव निवासी रसूलपुर थाना बदोसराय जनपद बाराबंकी द्वारा अवैध रूप से अर्जित की गयी चल/अचल सम्पत्ति कीमत करीब 66 लाख रूपये को गैंगेस्टर एक्ट की धारा 14(1) के अन्तर्गत कुर्क/जब्तीकरण की कार्यवाही की गयी।

एस0टी0एफ0–लूट, चैन स्नेचिंग एवं महिलाओं के साथ ठगी करके उनके जेवरात ले लेने वाले घूमन्तु जनजाति गिरोह के 03 सक्रिय सदस्य गिरफ्तार।

दिनांक 13–09–2023 को लूट, चैन स्नेचिंग एवं महिलाओं के साथ ठगी करके जेवरात ले लेने वाले घूमन्तु जनजाति गिरोह के 03 सक्रिय सदस्यों को जनपद हापुड़ से गिरफ्तार करने में सफलता प्राप्त हुई ।

अभियुक्तों का विवरणः–

1– आबिद पुत्र जाफर, निवासी ग्राम असीलपुर थाना किठौर, मेरठ।

2– वसीम पुत्र शकूर निवासी शेखपुर, फिरोजपुर कलन्दर बस्ती, रामराज थाना बहसूमा जनपद मेरठ।

3– साजिद पुत्र नजरूदीन निवासी वसीरपुर थाना किठौर जनपद मेरठ।

बरामदगीः–

1– 01 अदद तमंचा 315 बोर

2– 02 अदद कारतूस जिन्दा 315 बोर

3– 02 अदद चाकू नाजायज

<u>गिरफ्तारी का स्थान, दिनाँक, समयः–</u>

दिनाँक 13–09–2023, समय 22.45 बजे, स्थान–कल्याणेश्वर महादेव मंदिर के निकट, थाना क्षेत्र गढ़मुक्तेश्वर, जनपद हापुड़।

विगत कुछ दिनो से उत्तर प्रदेश एस0टी0एफ0 को घूमन्तु जनजाति गिरोह द्वारा महिलाओं के साथ धोखाधडी करके उनके जेवरात ले लेने, चैन स्नेचिंग तथा लूट की अपराधिक वारदात करने के सम्बन्ध में सूचनाएं प्राप्त हो रही थी। इस सम्बन्ध में एस0टी0एफ0 उ0प्र0 के उच्चाधिकारियों द्वारा एस0टी0एफ0 की विभिन्न इकाईयों को कार्यवाही हेतु निर्देशित किया गया था। जिसके अनुक्रम में श्री राज कुमार मिश्रा, अपर पुलिस अधीक्षक, एस0टी0एफ0 फील्ड इकाई, नोएडा के पर्यवेक्षण में निरीक्षक श्री सचिन कुमार के नेतृत्व में टीम गठित कर अभिसूचना संकलन की कार्यवाही की जा रही थी।

अभिसूचना संकलन के दौरान दिनांक 13–09–2023 को एस0टी0एफ0 यूनिट नोएडा को सूचना प्राप्त हुई कि घूमन्तु जनजाति गिरोह के सदस्य महिलाओं को अकेला पाकर उनके साथ अपराधिक घटनाएं करने के उद्देष्य से थाना गढ़मुक्तेश्वर जनपद हापुड क्षेत्र में सक्रिय है। इस सूचना को विकसित करने के उपरान्त थाना गढमुक्तेश्वर हापुड पुलिस को साथ लेकर उक्त स्थान की घेराबंदी करके उपरोक्त तीनों अभियुक्तों को गिरफ्तार कर लिया गया, जिनसे उपरोक्त बरामदगी हुई।

गिरफ्तार अभियुक्त आबिद ने पूछताछ पर बताया कि उसकी उम्र लगभग 34 साल है और आठवी पास है तथा वह घूमन्तु जनजाति बिरादरी से आता है। उसने बताया कि पूर्व में हम लोगो का गिरोह घूम–घूम कर खेल तमाषे दिखाने का काम करता था। घूमन्तु जनजाति का एक गॉव गूलरभोज ठंडा नाला, थाना गदरपुर जनपद उधम सिंहनगर उत्तराखण्ड में है जहॉ के अधिकतर लोग पूरे देश में घूम–घूम कर महिलाओं से टप्पेबाजी, चैन स्नैचिंग तथा लूट की घटनाओं में शामिल रहते हैं। इन्ही लोगों के सम्पर्क में आकर उसने (आबिद) एवं उसके गिरोह के सदस्य, जो ज्यादातर मेरठ, मुजफ्फरनगर के कुछ गॉव में रहते हैं, पूरे देष में घूम– घूम कर महिलाओं के साथ

टप्पेबाजी, चैन स्नैचिंग तथा लूट की वारदातों को अंजाम देने लगे। इस गैंग की अपराधिक घटनाओं से प्रमुख प्रभावी क्षेत्र जनपद मुजफ्फरनगर, मेरठ, हापुड, गाजियाबाद, बुन्दशहर, बिजनौर, मुरादाबाद, रामपुर तथा अमरोहा आदि है। इसके अलावा यह गिरोह दिल्ली, बल्लभगढ, बहादुरगढ हरियाणा, मध्य प्रदेश, झारखण्ड, बिहार, पंजाब, महाराष्ट्र एवं पूर्वोत्तर राज्य में भी अपराधिक घटनाएं करता है। अभियुक्त आबिद एवं इस गैंग के सदस्य बिहार, झारखण्ड, पंजाब जैसे दूरस्थ स्थानों पर भी मोटर साईकिल से जाते है और वहॉ पर निम्न स्तरीय सराय/होटलों में ठहरते हैं, तदोपरान्त घटना करके वापस आ जाते हैं। अभियुक्त आबिद वर्ष–2017 में जनपद गाजियाबाद से लूट की कई घटनाओं में जेल गया था और लगभग 07 माह जेल में रहा था तथा वर्ष–2021 में थाना किला परीक्षितगढ़ मेरठ से एवं जनपद अमरोहा से भी जेल जा चुका है और इसी प्रकार से वर्ष–2022 में थाना मानसरोवर पार्क दिल्ली से महिला से टप्पेबाजी के केस में जेल जा चुका है। पूछताछ में यह भी ज्ञात हुआ कि अभियुक्त वसीम व साजिद उपरोक्त भी इस गिरोह के सक्रिय सदस्य है तथा पूर्व में उत्तराखण्ड व जनपद प्रयागराज से जेल जा चुके है। इन अभियुक्तों द्वारा बल्लभगढ, बहादुरगढ हरियाणा, गाजियाबाद व गढ़मुक्तेश्वर जनपद हापुड में घटनाएं करना प्रकाश में आया है जिनमें इनके विरूद्व अभियोग पंजीकृत हुए हैं। इस गैग द्वारा की गयी अन्य अपराधिक घटनाओं के सम्बन्ध में छानबीन की जा रही है।

अभियुक्त आबिद, उपरोक्त के विरूद्व निम्न अभियोगों का पंजीकृत होना ज्ञात हुआ है–

क0सं0	मु0अ0स0	धारा	नाम थाना	जनपद
1	232/18	411/420 भादवि	इन्दिरापुरम	गाजियाबाद
2	397/18	411/420 भादवि	इन्दिरापुरम	गाजियाबाद
3	477/18	392/411 भादवि	इन्दिरापुरम	गाजियाबाद
4	562/18	392/411 भादवि	इन्दिरापुरम	गाजियाबाद
5	713/18	392/411 भादवि	इन्दिरापुरम	गाजियाबाद
6	856/18	379 भादवि	इन्दिरापुरम	गाजियाबाद
7	888/18	3/35 आर्म्स एक्ट	खोडा	गाजियाबाद
8	235/20	380/411 भादवि	परीक्षितगढ	मेरठ
9	240/20	380/411 भादवि	परीक्षितगढ	मेरठ
10	223/21	392/411 भादवि	किठौर	मेरठ

11	390／21	379／420／411 भादवि	हसनपुर	अमरोहा
12	526／22	420／34 भादवि	मान सरोवर पार्क	दिल्ली
13	270／23	420／406 भादवि	गढमुक्तेश्वर	हापुड
14	416／23	399／401 भादवि एवं 3／4／25 आर्म्स एक्ट	गढमुक्तेश्वर	हापुड

अभियुक्त वसीम, उपरोक्त के विरूद्व निम्न अभियोगों का पंजीकृत होना ज्ञात हुआ है–

क0सं0	**मु0अ0सं0**	**धारा**	**नाम थाना**	**जनपद**
1	34／21	406／419／420 भादवि	मुठठीगंज	प्रयागराज
2	326／21	419／420／406／467／468／471 भादवि	कैण्ट	प्रयागराज
3	270／23	420／406 भादवि	गढमुक्तेश्वर	हापुड
4	416／23	399／401 भादवि एवं 3／4／25 आर्म्स एक्ट	गढमुक्तेश्वर	हापुड

अभियुक्त साजिद, उपरोक्त के विरूद्व निम्न अभियोगों का पंजीकृत होना ज्ञात हुआ है–

क0सं0	**मु0अ0सं0**	**धारा**	**नाम थाना**	**जनपद**
1	101／18	323／406／420／504／506 भादवि	किठौर	मेरठ
2	432／21	376／506／508 भादवि	किठौर	मेरठ
3	416／23	399／401 भादवि एवं 3／4／25 आर्म्स एक्ट	गढमुक्तेश्वर	हापुड

गिरफ्तार उपरोक्त अभियुक्तों के विरूद्व थाना गुढमुक्तेश्वर जनपद हापुड पर मु0अ0सं0 416／23 धारा 399／401 भादवि एवं 3／4／25 आर्म्स एक्ट का अभियोग पंजीकृत कराया गया है। अग्रिम वैधानिक कार्यवाही स्थानीय पुलिस द्वारा प्रचलित है।

––––––